राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –282/2024 प्रा0पत्र

अनवान

धन्नी देवी बेवा डाउ राम जाति बलाई निवासी बलाइयों का कुआ तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.... प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील भीम जिला राजसमंद

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :–

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत खत्री एवं श्री भगवान सिंह
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक:–** 12/11/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की मौजा भीम पटवार हल्का भीम भू अभिलेख क्षेत्र भीम तहसील भीम मे निम्न कृषि भूमि स्थित है

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
44	16743/8877	0.0121 है0	जाव
994	16736/8861	0.1255 है0	बंजड

प्रार्थीया के पति डाउ राम की मृत्यु दिनांक 15.12.1988 को हुई थी। डाउ राम की पहली पत्नी मेथी देवी से डाउराम के एक संतान वन्नाराम थी। मेथी देवी की मृत्यु डाउ राम के जीवन काल में ही 05.02.1984 को हो गयी। मेथी देवी की मृत्यु उपरांत डाउराम द्वारा प्रार्थीया से विवाह किया गया परंतु स्थानीय प्रचलन के आधार पर प्रार्थीया को मेथी देवी के नाम से ससुराल में पुकारा जाने लगा। प्रार्थीया से डाउराम के एक संतान तारूराम है। डाउराम की मृत्यु के बाद डाउराम की विरासत का नामान्तकरण उनकी पत्नी धन्नी देवी तथा उनके पुत्र वन्नाराम तथा तारूराम के नाम पर खुलना चाहिए था परन्तु उक्त नामान्तकरण में धन्नी देवी के स्थान पर गलती से मेथी देवी के नाम पर विरासत का नामान्तकरण खुल गया। वर्तमान में प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीया द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में मेथी देवी के स्थान पर स्वयं का नाम

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित करने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में न्यायालय सहायक कलक्टर तथा उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा दिनांक 31.02.2016 के अपने निर्णय द्वारा प्रार्थीया के खातेदारी के अन्य खसरे आराजी न. 8908, 8920, 8861, 8912 में मेथी देवी के स्थान पर धन्नी देवी का नाम प्रतिस्थापित करने के आदेश के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा किये गये नामान्तकरण संख्या 4997 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार चूंकि धन्नी देवी तथा मेथी देवी दोनों एक ही महिला है अतः वादग्रस्त खसरो में प्रार्थीया का नाम मेथी देवी के स्थान पर धन्नी देवी किया जाना उचित है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 की धारा 136 के अनुसार –

The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी में मेथी देवी के स्थान पर धन्नी देवी का नाम दर्ज किया जाना लिपिकीय त्रुटि नहीं है। उक्त आधार पर खाता संख्या 44, खसरा संख्या 16743/8877 तथा खाता संख्या 944 खसरा संख्या 16736/8861 में प्रार्थीया का नाम मेथी देवी के स्थान पर प्रतिस्थापित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/11/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द